राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर
दूरभाष व फैक्स नं. 0141–2223572
E-Mail- esis-rj@esic.nic.in
Website-http://www.health.rajasthan.gov.in/esi

क्रमांक : प./कराबी/पै–मैनेजर/2020/229 दिनांक 6/8/2020

अधीक्षक/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय/औषधालय
राजस्थान।

विषय : अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिकार्ड में संशोधन बाबत।
प्रसंग : इस निदेशालय के पत्रांक 89 दिनांक 09.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके चिकित्सालय /औषधालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पै–मैनेजर में व्यक्तिगत रिकॉर्ड यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथी एवं समस्त विवरण में पाई गई त्रुटिओं को संशोधित कर डीडीओ द्वारा प्रमाणित कर साक्ष्य सहित इस निदेशालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

आपके द्वारा प्रेषित की गई ऑनलाइन Employee Data Updation/ Employee Detail Verify का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य में प्रायः डीडीओ द्वारा लापरवाही बरती जाती है। विशेष तौर पर कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जोधपुर के कामिकों की फैमिली डिटेल्स में सभी पारिवारिक सदस्यों की एक ही जन्मतिथी अंकित कर दी गई है, जो कि कार्य में उदासीनता का द्योतक है।

समस्त डीडीओ को निदेर्शित किया जाता है कि जो अधिकारी/कर्मचारी अपने नाम, पिता के नाम में संशोधन करवाना चाहते है, उनके साक्ष्य हेतु सेवा पुस्तिका की प्रति अथवा प्रथम नियुक्ति पत्र प्रमाणित करें साथ ही जो महिला अधिकारी/कर्मचारी अपने पिता के नाम को संशोधित कर पति का नाम लिखवाना चाहती है, उनकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट के साथ साक्ष्य प्रमाणित कर ई–मेल करें।

अतः समस्त डीडीओ को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड में त्रुटियों को तुरन्त प्रभाव से संशोधित करें एवं वेरिफाई करने के पश्चात ही प्रमाणित करें।

(डॉ. वी. के. माथुर)
निदेशक एवं पदेन उपसचिव